दिनांक 21.07.2026
प्रेस विज्ञप्ति 389/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना मदेयगंज

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 01 लाख 92 हजार रूपये नगद आदि बरामद**

दिनांक 21.07.2026 को थाना मदेयगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पक्का पुल के नीचे, गोमती नदी के पास से 03 अभियुक्तों 1–मोहन 2–सोहेल 3–राकिब को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 01 लाख 92 हजार रूपये नगद आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 20.07.2026 को थाना मदेयगंज क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मदेयगंज पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना मदेयगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मोहन निवासी बाइना थाना टऊरा जनपद नदिया पश्चिम बंगाल, हालपता जे0जे0 कॉलोनी बवाना नोर्ट वेस्ट दिल्ली।

2–सोहेल निवासी तासपुर थाना अशोकनगर जनपद उत्तर चौबीस परगना पश्चिम बंगाल, हालपता बडी पकरिया खदरा थाना मदेयगंज कमिश्नरेट लखनऊ।

3–राकिब निवासी ऐशबाग थाना कृष्णगंज जनपद नदिया पश्चिम बंगाल।

बरामदगी

1–लूट के 01 लाख 92 हजार रूपये नगद आदि।

जनपद अमेठी/थाना गौरीगंज

- **पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के माल बिक्री के 32 हजार 200 रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त कूटरचित नम्बर प्लेट लगी पिकअप वाहन आदि बरामद**

दिनांक 21.07.2026 को थाना गौरीगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रोहसी खुर्द से टीवी टावर जाने वाले रास्ते पर बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। बदमाशों द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–अख्तर हुसैन उर्फ राजू घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–दद्दन प्रसाद 3–मो0रईस उर्फ बब्लू 4–तेजबहादुर सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के माल बिक्री के 32 हजार 200 रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त कूटरचित नम्बर प्लेट लगी पिकअप वाहन आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त अख्तर हुसैन उर्फ राजू के विरूद्ध जनपद अमेठी के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 16 अभियोग एवं अभियुक्त तेज बहादुर के विरूद्ध जनपद अमेठी, सुल्तानपुर के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 06 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना गौरीगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अख्तर हुसैन उर्फ राजू निवासी ग्राम संपतपुर थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।

2–दद्दन प्रसाद निवासी पूरे भगीरथ, शाहपुर थाना जामो जनपद अमेठी।

3–मो0रईस उर्फ बब्लू निवासी रामपुर नौरंगाबाद थाना जामो जनपद अमेठी।

4–तेजबहादुर निवासी बरौलिया थाना जामो जनपद अमेठी।

बरामदगी

1–चोरी के माल बिक्री के 32 हजार 200 रूपये नगद।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3–घटना में प्रयुक्त कूटरचित नम्बर प्लेट लगी पिकअप वाहन आदि।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना फेस–1

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 13 लाख रूपये कीमत के 64 किलोग्राम अवैध गांजा**
- **01 इको कार बरामद**

दिनांक 21.07.2026 को थाना फेस–1 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर झुण्डपुरा बार्डर के पास से अभियुक्त ओमवीर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 13 लाख रूपये कीमत के 64 किलोग्राम अवैध गांजा, 01 इको कार बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना फेस–1 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–ओमवीर निवासी ग्राम नागर थाना अछनेरा कमिश्नरेट आगरा।

बरामदगी

1–लगभग 13 लाख रूपये कीमत के 64 किलोग्राम अवैध गांजा।

2–01 इको कार।

➢ **जनपद सोनभद्र (बीएनएसएस की धारा 107 के अन्तर्गत लगभग 01 करोड़ 31 लाख रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)**

जनपद सोनभद्र पुलिस ने अभियुक्त भागीरथी मौर्या पुत्र रमापति मौर्या निवासी मुँहकुचवां राजपुर थाना कोतवाली देहात जनपद मीरजापुर, हालपता मुर्धवा रेनुकूट थाना पिपरी जनपद सोनभद्र द्वारा भोले–भाले निवेशकों को अधिक लाभ एंव भारी मुनाफे का प्रलोभन देकर अवैध रूप से अर्जित की गयी अचल सम्पत्ति कीमत करीब 01 करोड़ 31 लाक रूपये को बीएनएसएस की धारा 107 के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

- **<u>जनपद एटा/थाना निधौली कला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)</u>**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना निधौली कला पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1–गोविन्द को धारा 302/34/504/506 भादवि व 25/27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 28 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त 2–अनुज 3–रामप्रताप को धारा 302/34/504/506 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 23–23 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद महोबा/थाना कुलपहाड़ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद महोबा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद महोबा द्वारा थाना कुलपहाड़ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–काशीराम 2–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना बड्डूपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना बड्डूपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 307/326/452 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त सोनू को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना जैदपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना जैदपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/452/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त शाहफहद उर्फ मुन्ना को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

दिनांक 21.07.2026
प्रेस विज्ञप्ति 390/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

सतर्कता अधिष्ठान, उ0प्र0 की लखनऊ इकाई द्वारा की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में सतर्कता अधिष्ठान, उ0प्र0 द्वारा निरंतर प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है।

उक्त निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 21.07.2026 को **सतर्कता अधिष्ठान, उ0प्र0 की लखनऊ इकाई** द्वारा शिकायतकर्ता से विभागीय जांच प्राप्त होने के उपरान्त नियमित सवेतन बहाली आदेश किये जाने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ सेक्टर की ट्रैप टीम द्वारा विकास भवन जनपद लखीमपुर खीरी स्थित जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय से **श्रीमती रेखा मिश्रा, कार्यालय लिपिक जिला पंचायत राज अधिकारी जनपद लखीमपुर खीरी** को **20 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

———————